

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 197 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. केशाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी गोसाई नगर, तहसील सिणधरी, बाड़मेर		1. खेताराम पुत्र अचलाराम
2. जोगाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी, बाड़मेर		2. चुतराराम पुत्र अचलाराम
		3. चनणीदेवी पत्नी मगाराम
		4. चेनाराम पुत्र मगाराम
		5. नारणाराम पुत्र मगाराम
		6. नोजी पत्नी मगाराम
		7. पेमाराम पुत्र मगाराम
		8. पारूदेवी पुत्री मगाराम
		9. रूपाराम पुत्र दानाराम
		10. चुनीदेवी पत्नी गोधुराम
		11. देवकुमारी पुत्री गोधुराम
		12. नेनुकुमारी पुत्री गोधुराम
		13. पेमाराम पुत्र ईशराराम
		14. भंवराराम पुत्र ईशराराम
		15. मांगी पत्नी ईशराराम जातियान जाट निवासीयान गोसाई नगर, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर।
		16. चिमनाराम पुत्र भैराराम
		17. डालूराम पुत्र भैराराम
		18. देवाराम पुत्र मोटाराम
		19. नन्दराम पुत्र भीखाराम
		20. नवलाराम पुत्र भैराराम
		21. राजोदेवी पत्नी मोटाराम
		22. रावताराम पुत्र भीखाराम
		23. वगताराम पुत्र मोटाराम जातियान निवासीयान कमठाई तहसील सिणधरी
		24. अमराराम पुत्र डूंगराराम
		25. केसी पुत्री नानगाराम
		26. देशराम पुत्र डूंगराराम
		27. पूराराम पुत्र डूंगराराम
		28. मांगी पुत्री डूंगराराम
		29. मोतीराम पुत्र डूंगराराम
		30. सूकी पुत्री नानगाराम
		31. ईशराराम पुत्र शम्भूराम
		32. किरताराम पुत्र शम्भूराम जाट
		33. हिमताराम पुत्र शम्भूराम जातियान निवासीयान गोसाई नगर, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर।
		34. गोधुराम पुत्र पूराराम
		35. जगाराम पुत्र पूराराम
		36. भोमाराम पुत्र पूराराम
		37. रामाराम पुत्र पूराराम
		38. हेमीदेवी पत्नी पुराराम जातियान मेघवाल निवासीयान गोसाई नगर तहसील सिणधरी



14
न्यायालय अधिकारी
सिणधरी

39. गोमाराम पुत्र राणाराम
40. चुनाराम पुत्र राणाराम
41. चुनीदेवी पुत्री चेनाराम
42. गेहरोदेवी पत्नी चेनाराम
43. दमीदेवी पुत्री चेनाराम
44. दलूदेवी पत्नी राणाराम
45. नैनुदेवी पत्नी मोटाराम
46. पुरोदेवी पत्नी सुखाराम
47. मेघाराम पुत्र सुखाराम
48. मदाराम पुत्र सुखाराम
49. रेखाराम पुत्र राणाराम
50. रूपाराम पुत्र मोटाराम
51. रामाराम पुत्र चेनाराम
52. वालाराम पुत्र सुखाराम
53. हराराम पुत्र मोटाराम जातियान मेघवाल निवासीयान धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर।
54. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सिणधरी जिला बाडमेर।

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

उपस्थिति-

1. श्री अमराराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 30.11.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण का खेत मौजा गोसाईं नगर, पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू, तहसील सिणधरी के खसरा नं. 289/224 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा नं. 400/124 रकबा 4.4980 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम खसरा नं. 45 रकबा 1.8769 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम व खसरा नं. 572/124 रकबा 1.4238 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम कुल खसरे 4 कुल रकबा 7.8392 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। जिस पर प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार सिणधरी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार सिणधरी के आदेश क्रमांक/सीमा/2021/185 दिनांक 22.06.2021 की पालना में हल्का पटवारी कमठाई सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर पहुंचने पर विवाद की स्थिति में सीमाकंन की कार्यवाही नहीं करते हुए तथ्यात्मक फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 25.12.2021 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष पेश की। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा गोसाईं नगर

हसील सिणधरी के खसरा नं. 289/224 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा नं. 400/124 रकबा 4.4980 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम खसरा नं. 45 रकबा 1.8769 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम व खसरा नं. 572/124 रकबा 1.4238 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम कुल खसरे 4 कुल रकबा 7.8392 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा गोसाई नगर, पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू, तहसील सिणधरी के खसरा नं. 289/224 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा नं. 400/124 रकबा 4.4980 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम खसरा नं. 45 रकबा 1.8769 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम व खसरा नं. 572/124 रकबा 1.4238 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम कुल खसरे 4 कुल रकबा 7.8392 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। जिस पर प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार सिणधरी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार सिणधरी के आदेश क्रमांक सीमा./2021/85 दिनांकित 22.06.2021 की पालना में हल्का पटवारी कमठाई सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर पहुंची मौके पर विवाद होने से सीमाज्ञान करना संभव नहीं हुआ इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा गोसाई नगर, पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू, तहसील सिणधरी के खसरा नं. 289/224 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा नं. 400/124 रकबा 4.4980 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम खसरा नं. 45 रकबा 1.8769 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम व खसरा नं. 572/124 रकबा 1.4238 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम कुल खसरे 4 कुल रकबा 7.8392 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा गोसाई नगर, पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू, तहसील सिणधरी के खसरा नं. 289/224 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा नं. 400/124 रकबा 4.4980 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम खसरा नं. 45 रकबा 1.8769 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम व खसरा नं. 572/124 रकबा 1.4238 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम कुल

खसरे 4 कुल रकबा 7.8392 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने


स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड सहखातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गोसाई नगर, पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू, तहसील सिणधरी के खसरा नं. 289/224 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा नं. 400/124 रकबा 4.4980 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम खसरा नं. 45 रकबा 1.8769 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम व खसरा नं. 572/124 रकबा 1.4238 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम कुल खसरे 4 कुल रकबा 7.8392 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


(वीरमराम)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 30-11-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी